"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2015—आषाढ़ 26, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-19/2015/एक/15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री देवाशीष बैनर्जी, वन संरक्षक, कार्य आयोजना ईकाई, रायपुर को दिनांक 27-07-2015 से 07-08-2015 तक कुल 12 दिवस स्वीकृत करते हुए दिनांक 08-09 अगस्त 2015 के राजपत्रित अवकाश के साथ अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बैनर्जी, वन संरक्षक, कार्य आयोजना ईकाई, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

3. अवकाश अवधि में श्री बैनर्जी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बैनर्जी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 1-24/2013/(6)52.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री कृष्णा राय, जशपुर को छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, रायपुर के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 1-24/2013/(6)52.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री दीपक साहू, दुर्ग को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नर्रे, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2015

क्रमांक/वि.स./खाद्य/ना.आ./उप.संर./79.—छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश पृ. क्र. एफ 9-4/2013/1-8 दिनांक 27 जून 2015 के द्वारा अधोहस्ताक्षरर्ता को संयुक्त सचिव के स्थान पर विशेष सचिव पदनामित किया जाता है.

उक्त आदेश के परिपालन में आज दिनांक 29 जून 2015 को पूर्वान्ह में मेरे द्वारा विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2015

क्रमांक/एफ-20-3/2009/25-2.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 जुलाई, 2015 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 यथासंशोधन नियम, 2013 के नियम 16 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मानिटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना के सरल क्रमांक 21 पर दर्शित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को विलोपित किया जाता है.

3. शेष यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 6-41/2015/वा.क.(आब.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री युद्धवीर सिंह जुदेव, विधायक, चंद्रपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, लाभाण्डी, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. श्री जुदेव की नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. राठिया, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 7-5/2012/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 3 मार्च 2014 के अनुसार गठित राज्य स्तरीय सलाहकार बोर्ड में निम्नानुसार संशोधन करता है :—

1.	सचिव, महिला एवं बाल विकास/अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति	—	पदेन अध्यक्ष
2.	सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	—	पदेन सदस्य
3.	सचिव, श्रम विभाग	—	पदेन सदस्य
4.	सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग	—	पदेन सदस्य
5.	माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	—	पदेन सदस्य
6.	सदस्य सचिव, राज्य मानव अधिकार आयोग	—	पदेन सदस्य
7.	सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	—	पदेन सदस्य

8.	पुलिस महानिदेशक द्वारा नामांकित पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर	—	पदेन सदस्य
9.	एक अध्यक्ष बालक कल्याण समिति-चक्रानुक्रम में (अंग्रेजी के वर्णानुक्रम में 2 बैठकों के लिए नामांकित किये जायेंगे)	—	पदेन सदस्य
10.	संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग/सचिव राज्य बाल संरक्षण समिति	—	सदस्य सचिव
11.	मान. विभागीय मंत्री के अनुमोदन से नामांकित दो सामाजिक कार्यकर्ता/स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि (एक महिला सदस्य हो)	—	सदस्य 1. श्री लक्ष्मण राव पि.एम. पापाराव गांधी चौक पुरैना जिला दुर्ग. 2. श्रीमती छबि बाई साहू सा. डीलापहरी तह. जि. राजनांदगांव.
12.	राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण का प्रतिनिधि	—	सदस्य
13.	चाईल्ड लाईन इंडिया फाउंडेशन द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	—	सदस्य
14.	स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ	—	सदस्य

1. उपरोक्तानुसार गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 36 के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण समिति के रूप में भी कार्य करेंगी.

2. उपरोक्त समिति का कार्यकाल आदेश जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए रहेगा.

3. सलाहकार बोर्ड/समिति वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करेगी.

4. गठित सलाहकार बोर्ड/समिति, अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न संस्थागत या गैर संस्थागत सेवाओं का निरीक्षण करेंगे. उनके द्वारा की गई सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

5. सलाहकार बोर्ड/समिति में सेवा-समाप्ति, त्याग-पत्र या अन्य किसी कारण से रिक्त हुए पद पर नए सदस्यों की नियुक्ति विहित रीति से की जायेगी.

6. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक एफ-1-8/31/छ.ग.सिं.प्र.नियम 2006/एस-2/2012 (पार्ट).—छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्रमांक 20 सन् 2006) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी निर्वाचन नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की प्रस्तावना में,—

कोष्टक, शब्द एवं अंक "(क्रमांक 7 सन् 2006)" के स्थान पर, कोष्टक, शब्द एवं अंक "(क्रमांक 20 सन् 2006)" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F-1-8/31/CGSPNiyam 2006/S-2/2012/(Part).— In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam 2006 (No. 20 of 2006), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Nirvachan Niyam, 2006, namely :—

AMENDMENT

In preamble of the said rules,—

For the paranthesis, words and figure "(No. 7 of 2006)", the paranthesis, words and figure "(No. 20 of 2006)" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. गुप्ता, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 1-35/2010/32.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री भुपेन्द्र सवन्नी, बिल्हा, जिला-बिलासपुर को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

2. उपर्युक्त नियुक्ति राज्य शासन के आगामी आदेश पर्यन्त अथवा श्री भुपेन्द्र सवन्नी द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष, जो भी अवधि पहले हो, के लिये होगी.

3. उपर्युक्तानुसार श्री सवन्नी द्वारा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. बैजेन्द्र कुमार (भा.प्र.से.) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2015

क्रमांक एफ 1-2/2011/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 के खण्ड (क) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री संजय श्रीवास्तव, पूर्व सभापति, नगर पालिक निगम, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर नियुक्त करता है.

2. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अंतर्गत श्री श्रीवास्तव की पदावधि चार वर्षों की होगी. परन्तु पदावधि पूर्ण होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा पद से, उसके लिये कोई कारण दिये बिना हटाया जा सकेगा.

3. उपर्युक्तानुसार श्री संजय श्रीवास्तव द्वारा अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एस. बजाज (भा.व.से.) अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के कार्यभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक 5595/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	नगोई प.ह.नं. 12	6.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा.	नगोई व्यपवर्तन योजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक 5596/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	बतरा प.ह.नं. 13	29.26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा.	खारून व्यपवर्तन योजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक 5605/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	माखनपुर प.ह.नं. 24	1.41	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा.	धौंराभांठा जलाशय योजना के स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक 5606/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	साजाबहरी प.ह.नं. 03	0.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा.	चैतमा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक 5607/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	नगोई प.ह.नं. 12	3.03	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा.	नगोई व्यपवर्तन योजना के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक 5608/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	माखनपुर प.ह.नं. 24	7.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा.	धौंराभांठा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 जून 2015

क्रमांक 5609/अ-82/2014-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	धौंराभांठा प.ह.नं. 25	1.20	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कोरबा.	धौंराभांठा जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबा साहेब कंगाले, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 19 मई 2015

क्रमांक/1562/क/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	भाटापारा	खैरा प.ह.नं. 37	10.842	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, डिसनेट संभाग क्रमांक 03 तिल्दा, जिला-रायपुर.	ग्राम खैरा के दायीं छोर वितरक नहर एवं लच्छनपुर उप नहर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 3 जून 2015

रा.प्र.क्र. 11/अ-82/13-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	पतरापारा प.ह.नं. 6	0.09	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	पुलिया निर्माण में आने वाली भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 24 जून 2015

रा.प्र.क्र. 10/अ-82/13-14.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	परसापारा प.ह.नं. 6	0.184	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.).	पुलिया निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2015

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2014/1178.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के आदेश संख्या 76/छ.ग.-लो.स./2014, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 द्वारा लोक सभा साधारण निर्वाचन-2014 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 02-रायगढ़ (अ.ज.जा.) एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 07-दुर्ग से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 7 अप्रैल, 2015—17 चैत्र, 1937 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-लो.स./2014.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है.

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2014	2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)	रामनारायण आयम ग्राम-नवगई, पो.-रघुनाथनगर, तह.-वाड्रफनगर, जिला-बलरामपुर छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2014	2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)	धनंजय राठिया मु.-मौहापाली, तह.-खरसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
3.	—वही—	7-दुर्ग	मन्नू लाल परगनिहा 793, आदर्श नगर, चरोदा, बी.एम.वाय., तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	—वही—	अल्फ्रेड विकास लुइस म.नं. 259 ई.डब्ल्यू.एस., वैशाली नगर, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	—वही—
5.	—वही—	—वही—	सरजू प्रसाद शुक्ला धनोरा रोड, बोरसी, तह. व जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	—वही—

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 7th April 2015—17 Chaitra, 1937 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-HP/2014.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2014 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation, if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a

period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particulars of Election	Number & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the House of the People 2014 from the State of Chhattisgarh	2-Raigarh (ST)	Ram Narayan Ayam Vill.-Navgai, P. O.- Raghunathnagar, Tah.-Wadrafnagar, Dist.-Balrampur (C.G.)	Failure to lodge any account of election expenses
2.	—do—	—do—	Dhananjay Rathiya Vill.-Mouhapali, Tah.-Kharsia, Distt.-Raigarh (C.G.)	—do—
3.	—do—	7-Durg	Mannu Lal Parganiha 793, Aadarsh Nagar Charoda, B.M.Y, Tahsil-Patan District-Durg (C.G.)	—do—
4.	—do—	—do—	Alfred Vikas Louise House No. 259, EWS Vaishali Nagar, Bhilai, Dist.-Durg (C.G.)	—do—
5.	—do—	—do—	Sarju Prasad Shukla Dhanora Road, Borsi, Tahsil & District-Durg (C.G.)	—do—

By order,

R. K. SHRIVASTAVA
Principal Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2015

क्रमांक 21/चार/निरर्हित/2014/1280.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के आदेश संख्या 76/छ.ग.-वि.स./2013, दिनांक 07 अप्रैल, 2015 द्वारा विधान सभा साधारण निर्वाचन-2013 में जिला जशपुर, रायगढ़, दुर्ग, कबीरधाम एवं कोण्डागांव से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

निधि छिब्बर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 7 अप्रैल, 2015—17 चैत्र, 1937 (शक)

आदेश

सं. 76/छ.ग.-वि.स./2013.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है.

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	13-कुनकुरी (अ.ज.जा.)	नेस्तोर कुजूर, ग्राम-पण्डरीपानी, पोस्ट-सरबकोम्बो, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
2.	—वही—	14-पत्थलगांव (अ.ज.जा.)	अनिल कुमार परहा, ग्राम.पो.-बागबहार, तह.-पत्थलगांव, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
3.	—वही—	16-रायगढ़	जयकिशोर प्रधान, चक्रधरनगर, बंगला-पारा, रायगढ़, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	18-खरसिया	अजय कुमार सिदार, ग्राम-लोधिया, पोस्ट-सरवानी, तहसील-खरसिया जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़.	—वही—
5.	—वही—	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)	त्रिभुवन सिंह राठिया, ग्राम+पो.-कटाईपाली (सी), तह.-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2013	19-धरमजयगढ़ (अ.ज.जा.)	बसील बेक, मु.पो.-पखनाकोट, पोस्ट-सूपकालो, तह.-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
7.	—वही—	62-पाटन	श्री बलदाऊ प्रसाद साहू, ग्राम व पोस्ट-बटरेल, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	—वही—
8.	—वही—	—वही—	मंगू लाल बंजारे, बेंदरी रोड बड़ा पावर हाऊस के पास, उरला, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
9.	—वही—	66-वैशालीनगर	नजरूल इस्लाम खान, सड़क नं. 18, शांतिपारा, शर्मा फर्निचर के पीछे, केम्प-01, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़	—वही—
10.	—वही—	72-कवर्धा	कन्हैया लाल पटेल, बजरंग पारा, कोहका, वार्ड क्र. 8 भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	—वही—
11.	—वही—	—वही—	कृष्ण कुमार डाहिरे, ग्राम-लोकबंद, पो.-करगीखुर्द, थाना+तह.-कोटा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
12.	—वही—	—वही—	निरंजन खरे, सिविल लाईन, मजगांव, 3, एनर्जी पार्क, वार्ड नं.-06 कवर्धा, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़	—वही—
13.	—वही—	82-केशकाल	दानीराम मरकाम, ग्राम-गमहरी, पो.-तितिरवण्ड, तह.+थाना-विश्रामपुरी जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़	—वही—
14.	—वही—	—वही—	पंचुराम नेताम, ग्राम-आमागुहान, पो.-कोरगांव, तह.-बड़ेराजपुर, जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

आर. के. श्रीवास्तव
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 7th April 2015—17 Chaitra, 1937 (Saka)

ORDER

No. 76/CG-LA/2013.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2013 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particulars of Election	Number & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh	13-Kunkuri (ST)	Nestor Kujur, Village-Pandripani, P.O.-Sarabkombo, Tah.-Bagicha Distt.-Jashpur, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses
2.	—do—	14-Pathalgaon (ST)	Anil Kumar Parha, Vill.+P.O.-Bagbahar, Tah.-Pathalgaon, Distt.-Jashpur, Chhattisgarh	—do—
3.	—do—	16-Raigarh	Jaikishor Pradhan, Chakradharnagar, Banglapara, Raigarh, Chhattisgarh	—do—
4.	—do—	18-Kharsia	Ajay Kumar Sidar, Village-Lodhiya, Post-Sarwani, Tah.-Kharsia, Dist.-Raigarh, Chhattisgarh	—do—
5.	—do—	19-Dharamjaigarh (ST)	Tribhuwan Singh Rathiya, Vill+Post-Kataipali (C), Teh.-Dharamjaigarh, Dist.-Raigarh Chhattisagrh	—do—
6.	—do—	—do—	Basil Beck, Vill.-Pakhnakot, Post-Supkalo Teh.-Dharamjaigarh Dist.-Raigarh, Chhattisgarh	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	General Election to the Legislative Assembly 2013 from the State of Chhattisgarh	62-Patan	Baldau Prasad Sahu, Vill & Po-Batrel Tahsil-Patan, Dist-Durg, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses
8.	—do—	—do—	Mangu Lal Banjare, Bendri Road, Near Bada, Power House, Urla, Dist.-Raipur, Chhattisgarh	—do—
9.	—do—	66-Vaishalinagar	Nazrul Islam Khan, Street No. 18, Shanti Para, Behind Sharma Furniture, Camp-01 Bhilai, Tahsil & District-Durg, Chhattisgarh	—do—
10.	—do—	72-Kawardha	Kanhaiya Lal Patel, Bajrang Para, Kohka Ward No.-8 Bhilai, Distt.-Durg, Chhattisgarh	—do—
11.	—do—	—do—	Krishna Kumar Dahire, Vill-Lokband, Post-Kargikhurd, Tehsil-Kota, Distt.-Bilaspur, Chhattisgarh.	—do—
12.	—do—	—do—	Niranjan Khare, Civil Line, Majgaon, 3, Energy Park, Ward No.-06, Kawardha, Distt.-Kabirdham, Chhattisgarh	—do—
13.	—do—	82-Keshkal	Daniram Markam, Vill.-Gamhari, Post-Titirwand, Tah.-Baderajpur, Dist.-Kondagaon, Chhattisgarh	—do—
14.	—do—	—do—	Panchuram Netam, Vill.-Aamaguhan, Post-Korgaon, Tah.-Baderajpur, Dist.-Kondagaon, Chhattisgarh.	—do—

By order,

R. K. SHRIVASTAVA
Principal Secretary,
Election Commission of India.